सत्यमेव जयते	भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006

Ekknd inkFkks dk nq:Ik;ksx ,o voS/k 0;kikj ds fo:/n vUrjk"Vh; fnol ij ukjdksfVDl vk;qDr dk lans'k

fot; dylh

प्रतिवर्ष 26 जून मादक पदार्थो के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस समाज में अवैध मादक पदार्थो के द्वारा व्याप्त समस्याओं से संघर्ष करने के लिए पुनः स्मरण कराने की दि ाा में मादक पदार्थो के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार से, सम्पूर्ण विश्व के विकास पर गम्भीर नकारात्मक प्रभाव से अवगत कराता है। मादक पदार्थो का दुरूपयोग सम्पूर्ण मानव जीवन एवं समुदाय को बर्बाद कर समाज में आपराधिक प्रवृति को बढ़ावा देता है, युवा पीढ़ी का मादक पदार्थो की ओर आकर्षित होना हम सभी के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है। यह विभाग मादक पदार्थो की मांग एवं आपूर्ति को नियंत्रण करने की दि ाा मे अन्तर्राष्ट्रीय उपबन्धों के अधीन अपने दायित्व का निर्वाह करता है। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, पिछले काफी समय से मादक पदार्थो यथा अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन इत्यादि के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सघर्षरत् है। वर्तमान समय में मादक पदार्थ के नये रूप यथा एमफटामाइन, एल.एस.डी., कई New Psychoative Substances (NPS) इत्यादि ने समाज को डिजाइनर ड्रग्स के नाम पर अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो कि एक गम्भीर चिंता का विषय है। आधुनिक परिवेश में मरीजों को उपलब्ध होने वाली दवाओं के दुरूपयोग की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए दवा विक्रेताओं का ध्यान दवा वितरण के सही तरीकों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हमारा प्रयास युवाओं एवं समाज की भागीदारी के साथ विकास को बढ़ावा देना और मादक पदार्थो के दुरूपयोग के विरूद्ध संघर्ष करना एवं इससे होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु उनके परिवारों को सहयोग देने का है,, जिससे कि हमारे बच्चे श्रेष्ठतम परिणाम के साथ ि ाक्षित व योग्य होकर समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें। युवाओं को स्वास्थ्य एवं मादक पदार्थो से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति उन्हें जागरूक करना समाज का कर्तव्य है।

स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत भारत में मादक पदार्थो के अवैध अधिपत्य, उत्पादन, तस्करी एवं वित्त प्रदान करने से सम्बंधित आपराधिक गतिविधियों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान है। मादक पदार्थो की तस्करी निष्प्रभावित करके मादक पदार्थ विहीन समाज बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें समाज से भी सहयोग/योगदान देने की अपेक्षा है। आज अगर मादक द्रव्यों के दुरूपयोग के प्रति आव यक कदम नहीं उठाये गये तो कल उपचार भी संभव नहीं हो सकेगा। इस अवसर पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मैं आपकी सहभागिता आमंत्रित करता हूँ ताकि हमारा समाज मादक पदार्थो के दुष्प्रभाव के प्रति सजग रहते हुए स्वस्थ्य खु ाहाल एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सके।

आइये, सतर्क नागरिक के रूप में मादक पदार्थो /ड्रग्स के विरूद्ध जंग में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना फर्ज निभायें।

जय हिन्द,

(विजय कलसी)
नारकोटिक्स आयुक्त

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर – 474006
फोन – 0751 2368121
फैक्स – 0751 2368111
ई–मेल : narcom@sancharnet.in, narcommr@cbn.nic.in,

@iFke ckj e gh MXl dk uk dg@